**दूर संचार गुणवत्ता आश्वासन सर्किल, रिछाई मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादों और उपस्करों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना**

504. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिछाई (जबलपुर) स्थापित दूरसंचार गुणवत्ता आश्वासन सर्किल को भारतीय दूरसंचार नैटवर्क में काम आने वाले केवल भारत में निर्मित उत्पादों और उपस्करों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया था अथवा तत्संबंधी विदेशी उत्पादों और उपस्करों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत में निर्मित ऐसे उत्पादों और उपस्करों की नामों सहित संख्या कितनी है, जिन्हें उक्त केंद्र द्वारा उनकी घटिया गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया गया था ; और

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन उत्पादों का निर्माण किया था ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू)** : (क) रिछाई (जबलपुर) में 11-9-89 को स्थापित गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र को दूरसंचार फैक्ट्री रिछाई (दूर संचार विभाग की एक फैक्ट्री) द्वारा विनिर्मित उत्पादों एवं उपस्करों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

(ख) और (ग) 11-9-89 से 31-3-92 के दौरान भारत में विनिर्मित उत्पादों एवं उपस्करों जिन्हें गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र ने अस्वीकार कर दिया था, के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए ) जिन कंपनियों ने इन उत्पादों का विनिर्माण किया उनके नाम भी अनुबंध में दिए गए हैं ।

**विवरण**

| क्रम सं० | उत्पादों का नाम | कुल प्रस्तुत मात्रा | कुल स्वीकृत मात्रा | उत्पाद का विनिर्माण करने वाली कंपनी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | वैल्डिड ट्यूब्स : | | | |
| | (क) ए-8 | 1,85,550 | 32,700 | इनका विनिर्माण एवं जस्त चढ़ाने का कार्य दूरसंचार फैक्ट्री, रिछाई में किया गया । |
| | (ख) बी-8 | 3,74,200 | 92,500 | |
| | (ग) सी-8 | 97,750 | 32,400 | |
| 2. | रिवटिड ट्यूब्ज : | | | |
| | (क) ए-4 | 23,200 | शून्य | इनका विनिर्माण दूरसंचार फैक्ट्री, राइटटाउन, जबलपुर में तथा जस्त चढ़ाने का कार्य दूरसंचार फैक्ट्री, रिछाई में किया गया । |
| | (क) ए-8 | 2,33,500 | 26,000 | |
| | (ख) बी-8 | 2,95,000 | 45,000 | |
| | (ग) सी-8 | 42,500 | 3,000 | |
| 3. | चैनल आयरन ब्रेकेट 4 वायर टेलीग्राफ | 2,86,000 | 1,46,000 | वही- |
| 4. | चैनल आयरन ब्रैकेट 4 वायर टेलीफोन | 2,35,000 | 75,000 | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | एंगलआयरन ब्रैकेट विशेषकर गार्ड वायर के लिए | 26,300 | 6,200 | –वही– |
| 6. | एंगल आयरन टाइज 3 वायर ब्रैकेट | 1,81,000 | 60,000 | –वही– |
| 7. | एंगल आयरन टाइज 4 वायर ब्रैकेट | 1,42,000 | 14,000 | –वही– |
| 8. | एंगल आयरन स्टेट्स | 63,000 | शून्य | –वही– |

***Fixation of seniority of SC/ST officers in I.T.S. group 'A'***

505. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to Unstarred Question 99 given in the Rajya Sabha on the 25th February, 1992 and state the number of SC/ST I.T.S. Group 'A' officers who have represented for the fixation of their seniority so far and since when?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): 3 officers of 1966 Batch and 4 officers of 1967 Batch belonging to SC/ST community have represented for refixation of their seniority alongwith officers recruited in 1963 and 1964 batches respectively.

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आवास**

506. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगर टेलीफोन निगम लि० के कर्मचारियों को सम्पदा निदेशालय के साधारण पूल के अंतर्गत आवास प्राप्त करने का पात्र, बनाने का विचार रखती है, क्योंकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी दूरसंचार विभाग के कर्मचारी हैं और उन पर केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालय के लिए लागू नियम और विनियम लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या संचार मंत्रालय ने इस बारे में शहरी विकास मंत्रालय से बात चीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैयानायडू)** : (क) से (ग) जी नहीं । चूंकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का आवास देने का अपना अलग पूल है इसलिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल से आवास के पात्र नहीं हो सकते ।

इस संबंध, में सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया है ।

सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं पात्र कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्य पूल के आवास देने की भारी कमी को देखते हुए संपदा निदेशालय ने सामान्य पूल से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को आवास आवंटन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।